धारा 150 : सूचना विवरणी देने की बाध्यता

(1) कोई व्यक्ति–

(क) जो कोई कराधेय व्यक्ति है; या

(ख) जो कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या

(ग) जो मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य आउटपुट कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद–शुल्क या सीमाशुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी है; या

(घ) जो आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय–कर प्राधिकारी है; या

(ङ.) जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के खंड (क) के अर्थान्तर्गत कोई बैंक कंपनी है; या

(च) जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त किसी इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक है; या

(छ) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार है; या

(ज) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार है; या

(झ) जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त प्राधिकारी है; या

(ञ) जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर है; या

(ट) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है; या

(ठ) जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट निक्षेपागार है; या

(ड) जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है; या

(ढ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क है; या

(ण) जो ऐसा व्यक्ति है जिसे धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है; या

(त) जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति है,

और जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर के संदाय और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रय या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान–प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए ऐसी अवधि और ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप या रीति में जो विहित

की जाए और यथा विहित, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के संबंध में उसकी सूचना की विवरणी देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना, जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह ऐसी त्रुटिपूर्ण सूचना विवरणी देने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और उसे ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या उसकी ओर से किए गए आवेदन पर उक्त प्राधिकारी द्वारा बढ़ाए जाने के लिए अनुज्ञात की जाने वाली, ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटि का सुधार करने का एक अवसर देगा, और यदि त्रुटि का सुधार उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी ओर इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है, उसे उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे नोटिस की तामील की तारीख से नब्बे दिनों से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा।